संख्या-34/2026/276/सैंतीस-2-2026-1(6)/2025

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
2- **निदेशक,**
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-06 मार्च, 2026

विषयः- "**गो आश्रय स्थल से सम्बद्ध एवं अन्य गोचर चरागाह की भूमि पर हरा चारा उत्पादन की योजना" की कार्ययोजना।**

महोदय,

अवगत हैं कि संरक्षित गोवंशों के बेहतर पोषण हेतु आहार में हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश संख्या-1794/सैतीस-2-2025 दिनांक-06.11.2025 द्वारा चारा नीति के अन्तर्गत गो आश्रय स्थल से सम्बद्ध एवं अन्य गोचर चारागाह की भूमि पर हरा चारा उत्पादन की योजना (रा०यो०) अनुमोदित की गयी है। योजनान्तर्गत प्रदेश में गो आश्रय स्थल से सम्बद्ध सिंचित कब्जा मुक्त चारागाह की भूमि एवं अन्य चारागाह की भूमि पर हरा चारा उत्पादन कराया जाना है, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा उन्नत किस्म के चारा बीज एवं अन्य अवयव निःशुल्क देने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का प्राविधान है। चयनित चारागाह की भूमि पर हरा चारा उत्पादन हेतु गो आश्रय स्थल से सम्बद्ध एवं अन्य गोचर चरागाह की भूमि पर हरा चारा उत्पादन की योजना प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसकी कार्ययोजना निम्नवत् है:-

गो आश्रय स्थल से सम्बद्ध एवं अन्य गोचर चरागाह की भूमि पर हरा चारा उत्पादन की योजना

गोवंशों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हरा चारा नितान्त आवश्यक है। हरे चारे से पशुओं को पर्याप्त मात्रा में विटामिन, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ पशुओं में बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। आहार में हरे चारे को सम्मिलित करने से गोवंशों की मृत्यु दर में कमी आती है। संरक्षित गोवंशों के बेहतर पोषण हेतु आहार में हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु शासनादेश संख्या-1794/सैतीस-2-2025 दिनांक-06.11.2025 द्वारा चारा नीति के अन्तर्गत गो आश्रय स्थल से सम्बद्ध एवं अन्य गोचर चारागाह की भूमि पर हरा चारा उत्पादन की योजना (रा०यो०) अनुमोदित की गयी है। योजनान्तर्गत प्रदेश में गो आश्रय स्थल से सम्बद्ध सिंचित कब्जा मुक्त चारागाह की भूमि एवं अन्य चारागाह की भूमि पर हरा चारा उत्पादन कराया जाना है, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा उन्नत किस्म के चारा बीज एवं अन्य अवयव निःशुल्क देने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने का प्राविधान है। चयनित चारागाह की भूमि पर हरा चारा उत्पादन हेतु उक्त शासनादेश दिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

06.11.2025 में किये गये प्राविधानों के अनुरूप निम्न दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत संबंधित विभागों के समन्वय से कार्य योजना का तीव्र गति से संचालन सुनिश्चित किया जाए:-

1. पंचायती राज/ग्राम्य विकास विभागः-

- टैग्ड भूमि पर सिंचाई की व्यवस्था सुदृढ़ करना, बायोफेन्सिंग, खाई निर्माण, भूमि समतलीकरण, हरे चारे हेतु मौसमवार फसलों/वृक्षों का बुवाई/रोपण एवं अन्य संबंधित कार्य वीबीजीरामजी (मनरेगा) अभिसरण के माध्यम से एवं सी०एस०आर०/राज्य वित्त आयोग के सहयोग से कराया जाए।
- चारागाह की भूमि से टैग्ड गो आश्रय स्थल तक हरे चारे की कटाई, ढुलाई, सुरक्षा हेतु चौकीदार की व्यवस्था आदि हेतु मानव श्रम का अभिसरण वीबीजीरामजी (मनरेगा) के माध्यम से कराया जाए।

2. राजस्व विभागः-

- जनपदों में उपलब्ध गोचर/चारागाह भूमि को नियमानुसार पूर्णता कब्जामुक्त कराया जाए।

3. कृषि विभागः-

- मौसम के अनुकूल एवं क्षेत्र विशिष्ट के अनुसार चारा किस्मों का प्रचार-प्रसार कराकर हरा चारा उत्पादन हेतु तकनीकी सहयोग दिया जाए।

4. हरा चारा बुवाई के समय टैग्ड भूमि की जियो टैगिंग अवश्य कराई जाए।

5. यदि एक गो आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं हेतु टैग्ड भूमि पर पशुओं की आवश्यकता से अधिक हरा चारा उत्पादित हो तो उस चारे को निकटस्थ गो आश्रय स्थल में संरक्षित पशुओं के भरण-पोषण हेतु उपयोग किया जाए। साथ ही हरा चारा आत्मनिर्भरता की दशा में रू0 2.50 प्रति किलो की दर से हरे चारे का विक्रय किया जा सकता है।

6. जनपदों में उपलब्ध कब्जामुक्त सिंचित गोचर/चारागाह भूमि को गो आश्रय स्थलों से टैग करके हरा चारा उत्पादन में उपयोग कर क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए।

7. योजनान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं योजना का Impact assessment फीड बैंक तथा संबंधित फोटोग्राफ्स/वीडियो चारा अनुभाग, पशुपालन निदेशालय की ई-मेल charaniti2024@gmail.com पर उपलब्ध कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं स्थालीय सत्यापन का उत्तरदायित्व संबंधित मण्डल के अपर निदेशक, ग्रेड-2 का होगा।

8. योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही किया जाना अनिवार्य है। अवशेष धनराशि के समर्पण की सूचना दिनांक-25.02.2026 तक प्रत्येक दशा में चारा अनुभाग, पशुपालन निदेशालय की ई-मेल charaniti2024@gmail.com पर उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9. योजना के निर्बाध गति एवं सफल संचालन हेतु जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण एवं सत्यापन किया जाये।

10. चारा नीति के अन्तर्गत गो आश्रय स्थल से सम्बद्ध एवं अन्य गोचर चारागाह की भूमि पर हरा चारा उत्पादन हेतु मौसमवार अनुमानित लागत का आगणन निम्न है:-

मौसमवार अनुमानित लागत (रू० प्रति हे० में)	खरीफ	रबी	जायद
	12600	21700	22000

(नोट-उपरोक्त आगणन में मानव श्रम पर आने वाले व्यय को सम्मिलित नहीं किया गया है। मानव श्रम की व्यवस्था वीबीजीरामजी (मनरेगा) अभिसरण के माध्यम से करायी जानी है।)

11. योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन कब्जामुक्त चारागाह की भूमि/टैग्ड भूमि के अनुसार संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को किया जाएगा। संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी अपने स्तर से हरा चारा उत्पादन के दृष्टिगत चयनित गो आश्रय स्थल के संरक्षक को धनराशि उपलब्ध करायें एवं अपने नियंत्रण में योजना का क्रियान्वयन करायें।

12. इस योजना से आच्छादित होने वाले स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों का चयन, निःशुल्क चारा बीज मिनीकिट प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा संचालित किसी अन्य चारा विकास की योजना में न किया जाये।

13. योजनाओं के कियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 06 नवम्बर 2025 द्वारा गठित समिति की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही उपलब्ध कराई गई धनराशि का नियमानुसार व्यय किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-34/2026/276(1)/सैंतीस-2-2026-1(6)/2025, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त/नियोजन/कृषि विभाग।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8. समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।